

25.10.23

पञ्जावली पेज 52 / कमील अपीलें (उपलिया) / तारीख 8  
 वाफ इन्सोडेंट्स सं 1, 2, 3, 5 व 6 वावजूद पर्याप्त (सुयोग)  
 काउ अनुपलिया रहे। विज्ञान कमील अपीलें ने (सुयोग)  
 प्रार्थनापत्र पर पुनवारि हेतु निवेदन किया। इन पर पञ्जावली  
 पर कमीलवादी कोड के न क्वलोरुड करे पर पाया कि  
 कमीलवादी कोड के क्रिके क्रिके 24.11.2021 राजस्थान कायमवादी  
 अधिनियम 1955 की धाराओं 88, 188, 92 A, 209 के  
 तहत अपीलें न्यायालय में एवं लेकर निर्मित हुकाई /  
 RTA के तहत पाते कोडों / निर्माणों की कमीलीय  
 न्यायालय राफस कमील प्राधिकारी होता है और कमीलारे  
 न्यायालय राफस कमील प्राधिकारी स.क. के भी तहत  
 कमीलारे की लेकर जपे हैं / कमीलारे ने प्रेक्वायलर के  
 वावर यह कमील इन न्यायालय में प्रस्ता की हैं, जिसकी  
 RTA की धाराओं पर कमील पुनरेका अधिकार नही है /  
 कमीलारे की हिदायत ही कि वह इन संबंध में सशुभ  
 कमीलीय न्यायालय राफस कमील प्राधिकारी सवादी  
 वावजूद के यहां कमीलवादी कोड के संबंध में

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम की त.  
में जारी

चारापोही को/ विद्वान वकील के नियंत्रण को स्वीकार  
करते हुए रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां उनको जारी प्रति  
लेते हुए लौटाई जावे।

अतः अज्ञापिका से बाहर होने के कारण अपील  
की अज्ञापिका से लौटायी जानकर फसल शुभार विना  
जाता है। अपील नम्बर से कर है।

  
अवि. सभागीय आयुक्त  
भरतपुर